न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–92/2018

CIS NO. TS-12/2019

केश्वर कुमार आर्य एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनिल पटवा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
14.11.2024	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.02.2024 संबंधित धारा 74 एवं 76 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 29.02.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी अंचल सिकटा वाद साक्ष्य 111/3, 1969–70, एल0 आर0 मुकदमा–176/1969–70, बंदोबस्ती की सच्ची प्रतिलिपि, अंचल सिकटा द्वारा निर्गत मूल पट्टा दस्तावेज सं0–1977 दिनांक 31.03.1977 सुरूज साह बनाम अयोध्या राउत की सच्ची प्रतिलिपि, दस्तावेज दिनांक 21.11.1977 की सच्ची प्रतिलिपि तथा मालगुजारी रसीद सं0–140619 की मूल प्रति दाखिल किया गया है, जो तीस वर्षो से अधिक पुराना है। इनका प्रदर्श अंकित होना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण की ओर से दाखिल कागजातों/दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें। **आदेश दिनांक 05.11.2019 द्वारा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई हेतु नियत किया गया।** सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं	

<u>न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–92/2018</u>

<u>CIS NO. TS-12/2019</u>

केश्वर कुमार आर्य एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनिल पटवा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 14.11.2024	दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 29.02.2024 स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों/दस्तावेजों को ग्रहण कर प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 13.12.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	